भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4141
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः अधिशेष खाद्यान्नों का वितरण
4141. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का देश में अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगले फसल वर्ष तक अधिशेष खाद्यान्नों का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु उपयोग करने के बजाय विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों को और अधिक खाद्यान्न उपलब्ध कराने का विचार है; और
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में देश में राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): केंद्रीय पूल में उपलब्ध चावल और गेहूं का कुल स्टॉक 01.07.2025 तक क्रमशः 377.83 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) और 358.78 लाख मीट्रिक टन है, जबकि चावल के लिए खाद्यान्न भंडारण मानदंड 135.40 लाख मीट्रिक टन और गेहूं के लिए 275.80 लाख मीट्रिक टन है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए/प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) और प्राकृतिक आपदाओं, त्योहारों इत्यादि के लिए अतिरिक्त आवंटन के तहत वर्ष 2025-26 हेतु खाद्यान्नों के वार्षिक आवंटन को पूरा करने के बाद, भारत सरकार ऑपन मार्केट बिक्री योजना -घरेलू (ओएमएसएस-डी) आदि के माध्यम से केंद्रीय पूल में खाद्यान्न भंडारण के निपटान के उपलब्ध विकल्पों को सक्रिय करती है। पात्र देशों को पूरी तरह से अनुदान के रूप में मानवीय सहायता भी केवल विदेश मंत्रालय के माध्यम से ही दी जाती है।

सरकार 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का कार्यान्वयन कर रही है, जो लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए किफायती मूल्यों पर समुचित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करके मानव जीवन-चक्र के दृष्टिकोण से खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करती है।

पीएमजीकेएवाई का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवार, जो सबसे गरीब वर्ग हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न के पात्र हैं, जबकि प्राथमिक परिवार (पीएचएच) प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न के पात्र हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कवरेज काफी अधिक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी संवेदनशील और गरीब वर्गों को इसका लाभ मिले। वर्तमान में, 81.35 करोड़ के आशयित कवरेज के मुकाबले, 80.56 करोड़ लाभार्थी निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं।

*****